न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2025

1. प्रमोद कुमार मिढा 2. प्रहलाद कुमार मिढ़ा	पिसरान जयराम, जाति अरोड़ा, साकिन वार्ड न.39 श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजमोहम्मद पुत्र शान मोहम्मद जाति	मुसलमान, साकिनान डींगा,
2. सतार शाह पुत्र नादर शाह	तहसील पीलीबंगा,
3. मुराद शाह पुत्र शान शाह	जिला हनुमानगढ़,
4. अब्दुल सलाम पुत्र इकबाल शाह	राजस्थान।

5. मलका रानी पुत्री जगननाथ, जाति खत्री, साकिन संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ ।

6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	प्रार्थी
2. श्री मदन लाल पारीक	अप्रार्थी सं. 4
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी सं 6

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25/08/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त संशोधित प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 116/39 के प.नं. 12/316 (9) किला नं. 1 ता 14 की 3.542 हैक. नहरी खातेदारी में प्रमोद कुमार का 1/4 हिस्सा, प्रहलाद कुमार मिढ़ा का 1/2 हिस्सा, योगेश मिढ़ा का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 122/112 के प.नं. 12/316 (9) किला नं. 15 ता 20 की 1.518 हैक. नहरी खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5 के [illegible] के 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 47/35 के प.नं. 12/316 (9) किला नं. 2[illegible] 25 [illegible] नं. 12/317 (20) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3[illegible] 6/1, 612, 7 ता 10 की कुल 3.795 हैक. नहरी मय [illegible] खातेदारी मुताबिक हिस्सा [illegible] राजस्व रिकार्ड वाके है। 5. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आ[illegible] के लिये प्रार्थीगण के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही [illegible] चक 18 पीबीएन–बी [illegible] 12/317 किला नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता चालू है उक्त रास्ता से होते हुए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–वी के खाता सं. 122/12 के प. नं. 12/316 (9) किला नं. 20 में 0.013 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रास्ता व अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 47/35 के प.नं. 12/316 (9) किला नं. 21 में 0.013 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता से होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है व कृषि औजार लाते व ले जाते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 122/12 के प. नं. 12/316 (9) किला नं. 21 में 0.013 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता व अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 47/35 के प.नं. 12/316 (9) किला नं. 21 में 0. 013 हैक, बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थीगण डीएलसी दर की दौगुना राशि अप्रार्थीगण को देने के लिये तैयार व तत्पर है।

यह कि अप्रार्थी सं. 6 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 122/12 के प.नं. 12/316 (9) किला नं. 20 में 0.013 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता व अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 47135 के प. नं. 12/316 (9) किला नं. 21 में 0. 013 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 की तलबी हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 4 निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 कों साबित करनें कर भार प्रार्थीगण पर है। यह कि प्रार्थना पत्र का दफा 2 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। परन्तु इस भुमि के सहकाश्तकार खातेदार योगेश मिठा का पक्षकार नहीं बनाया है प्रार्थना पत्र में समस्त सह खातेदार पक्षकार नहीं है। खातेदार योगेश मिठा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। इसलिए पक्षकारों के असंयोजन के अभाव में प्रार्थना पत्र काबिल खरीज के है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अप्रार्थी सं. 1 व 2 से सम्बधिंत कें है। जिसें साबित करनें का भार प्रार्थीगण पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्ज न होने के कारण अस्वीकार है। दफा में वर्णित कुल 3.795 हैक. भुमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी सं. 5 से 10 व 12 का कोई हिस्सा नहीं है। यह कि भुमि अप्रार्थी सं. 3, 4, व 11 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है प्रार्थना पत्र कि दफा 2 में वर्णित भुमि जिस बाबत् रास्ता चाहा गया है। उस भुमि के 3 सह खातेदार है। जबकि यह प्रार्थना पत्र 2 व्यक्तियों कि ओर से प्रस्तुत होनें के कारण रास्ता को प्राप्त करनें हकदार नहीं है। प्रश्नगत रास्ता कभी भी चालु नहीं रहा और मौके पर भी चालू नहीं है। प्रार्थीगण नें समस्त तथ्य मिथ्यारचित अंकित कियें गयें है। ... काश्त की हुई है। कि.नं. 20, 21 की भुमि कभी भी रास्ता हेतु उपयोग में नहीं ली गई है। प्रार्थीगण कभी भी इसी भुमि में सें आना जाना नहीं करतें है। ये अपनी भुमि ... पड़ैसी काश्तकारौ को ठेका पर काश्त के लिए देते रहे है। वे लोग अपने खेतो में सें आ कर ही इस भूमि की काश्त कर रहे है। चाहें गये प्रश्नगत रास्ता की प्रार्थीगण कों कभी भी आवश्यकता नहीं रही है. और न ही अब इन्हें रास्ता कि आवश्यकता है। प्रार्थीगण अपनी भुमि को स्वयं काश्त नहीं करतें है। प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध प्रस्तुत है, रास्ता कि भुमि के बदलें में ड.स.ट. पर या इससें दुगनी राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 316 दिनांक 07.04.25 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार किन. 20, 21 में 0.03 हैक्ट, पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता चाहा गया है जोकि मौका पर चालू नहीं है तथा कि.न. 20 मौका पर खाली पड़ा है। किन. 24 में मौका पर काश्त है मुताबिक राजस्व रिकार्ड प.न. 2/346(09) 20, 21 से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि को राजस्व रिकर्ड में स्वीकृशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक जाने के लिए कम दूरी का रास्ता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि किला न. 20 व 21 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी की संयुक्त खाता की भूमि में प्रार्थी ओर तीन भाई है जिनको पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किन. 20, 21 में 0.03 हैक्ट, पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता चाहा गया है जोकि मौका पर चालू नहीं है तथा कि.न. 20 मौका पर खाली पड़ा है। किन. 24 में मौका पर काश्त है मुताबिक राजस्व रिकार्ड प.न. 2/346(09) 20, 21 से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि को राजस्व रिकर्ड में स्वीकृशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक जाने के लिए कम दूरी का रास्ता है। प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर चक 18 पीबीएन–बी के खाता सं. 47/35 के प.नं. 12/316 (9) किला नं. 21 में 0. 013 हैक्. बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि रास्ता के प्रतिकर के रूप में प्रार्थी से डीएलसी की दुगना राशी खजाना राज में जमाकरवाया जाकर अन्य किसी प्रकार का वाद या स्थगन नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 25/8/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:40 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा